**अनुस्मारक**

प्रेषक,

**आयुक्त,**
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिला मजिस्ट्रेट,**
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः 899 /सं0क0/2022–23 लखनऊ दिनांकः12 अक्टूबर, 2022

**विषयः मनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से समुचित माल और सेवाकर उद्ग्रहण के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–166/सं0क0/2022–23 दिनांक 06.05.2022**(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कतिपय तथ्यों से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया था कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित केबिल आपरेटर्स, डी0टी0एच0 सेवा प्रदाता तथा मनोरंजन के जिन सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस/अनुमति जारी की गयी है और वह थ्रेशाल्ड सीमा (Threshold Limit) के अन्तर्गत आते हैं, की जांच कराकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा नियमानुसार देय माल और सेवाकर (GST) राजकोष में जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र(विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुसार जिन मनोरंजन के साधनों के संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस अपेक्षित है, जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त किये बिना तथा धारा 4–क(1) के अनुसार कोई मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना आयोजित/संचालित नहीं किया जायेगा। दीपावली एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में कई ऐसे मनोरंजन आयोजित होते हैं, जिनके संचालन हेतु नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई, 2017 से माल और सेवाकर (GST) की व्यवस्था लागू होने के कारण मनोरंजन के साधनों पर मनोरंजन कर के स्थान पर नियमानुसार माल और सेवाकर (GST) देय है। सन्दर्भित व्यवस्था के अन्तर्गत किसी सेवा प्रदाता के GSTIN में पंजीयन हेतु थ्रेशाल्ड सीमा (Threshold Limit) रू0 20 लाख है। जी0एस0टी0 संग्रह के विगत वर्षो के आंकड़ों से यह विदित होता है कि मनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित जी0एस0टी0 की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि मनोरंजन के ऐसे साधनों, जिनके संचालन हेतु उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस अथवा अनुमति अपेक्षित है, की जांच कराकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें, बिना जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त किये संचालित न होने पाये। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित केबिल आपरेटर्स, डी0टी0एच0 सेवा प्रदाता तथा मनोरंजन के जिन सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस/अनुमति जारी की गयी है और वह थ्रेशाल्ड

सीमा (Threshold Limit) के अन्तर्गत आते हैं, की जांच कराकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा नियमानुसार देय माल और सेवाकर (GST) राजकोष में जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त–डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग), उत्तर प्रदेश।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः 166 /सं0क0/2022-23 लखनऊ दिनांक 06 मई, 2022

**विषयःमनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से समुचित माल और सेवाकर उद्ग्रहण के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

मनोरंजन के विभिन्न साधनों के संचालन हेतु लाइसेंस/अनुमति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 01 जुलाई, 2017 से माल और सेवाकर (GST) की व्यवस्था लागू होने के कारण इन साधनों पर मनोरंजन कर के स्थान पर माल और सेवाकर (GST) देय है। सन्दर्भित व्यवस्था के अन्तर्गत किसी सेवा प्रदाता के GSTIN में पंजीयन हेतु थ्रेशाल्ड सीमा (Threshold Limit) रू0 20 लाख है। जी0एस0टी0 संग्रह के विगत वर्षो के आंकड़ों से यह विदित होता है कि मनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित जी0एस0टी0 की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित केबिल आपरेटर्स, डी0टी0एच0 सेवा प्रदाता तथा मनोरंजन के जिन सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस/अनुमति जारी की गयी है और वह थ्रेशाल्ड सीमा (Threshold Limit) के अन्तर्गत आते हैं, की जांच कराकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा नियमानुसार देय माल और सेवाकर (GST) राजकोष में जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

6/5/2022

**(मिनिस्ती एस0)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

**संख्या व दिनांक उपरोक्त।**

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त–डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग), उत्तर प्रदेश।

06/05/2022

**(सुधा वर्मा)**
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।